2023/74

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार की साक्षी
13/12/24	पुकार उप0। निर्णय पृथक से लिखकर सुनाया गया, आ0नि0 हो। पत्रावली फैसले में शुमार हो कर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:44:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी (राज०)

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
81 / प्रा0प0 / 2023	29.08.2023	हरविन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

हेमराज आ० श्री रतनलाल जाति कंजर निवासी ग्राम रामनगर बागा माता भवानीपुरा तहसील एव जिला बून्दी (राज०)

—प्रार्थी

—बनाम—

1. आसीन पुत्र रामसहाय जाति कंजर निवासी ग्राम रामनगर
2. चेनी बाई पत्नी स्व० रामसहाय जाति कंजर निवासी रामनगर
3. बलवीर पुत्र रामसहाय जाति कंजर निवासी रामनगर
4. लाला पुत्र रामसहाय जाति कंजर निवासी रामनगर
5. वेन्यू पुत्र रामसहाय जाति कंजर निवासी रामनगर तहसील बून्दी, जिला बूंदी (राज०)
6. तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी (राज०)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक—13.12.2024

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री मोहम्मद शरीफ।
अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट गीतेश पंचोली व पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा सख्या 700 रकबा 2.0686 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढानाथावतान पटवार हल्का गुढानाथावतान भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/6 निहित है। जिस पर प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त हैं। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 साथ संलग्न है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के समीप ही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 698 रकबा 2.8453 हैक्टेयर वाके ग्राम गुढानाथावतान की स्थित हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्तकारी करने में सीमा को लेकर वाद विवाद पैदा करते रहते हैं। जिसके कारण प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार बूंदी को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया गया तथा मौके पर जब राजस्व कर्मचारी कानूनगो व हल्का पटवारी भूमि को नापने के लिए जाते है तो उक्त अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 5 [illegible] भूमि को नापने में विवाद पैदा करते है। जिसके कारण राजस्व कर्मचारी भूमि का सीमाज्ञान कर [illegible] स्थापित नहीं कर पाते हैं अप्रार्थीगण सं० 1 लगायत 5 जो कि प्रार्थी के पड़ोसी [illegible] हैं। उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को बलपूर्वक [illegible] हेतु अप्रार्थीगण कई बार प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि की मेड़ [illegible] भी हांक कर खण्डित कर देते हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की करीब 4 बिस्वा भूमि [illegible] सीमा में जबरन मिला लिया है। प्रार्थी के पड़ौसी काश्तकार प्रभावशाली [illegible] होने से प्रार्थी को अपनी हद की भूमि पर काश्त करने में तंग व परेशान कर रहे हैं। मौके पर समुचित सीमा चिन्ह के अभाव में विवाद उठने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं० 700 रकबा 2.0686 की आराजियात में निहित अपने हिस्से 1/6 की भूमि का सीमाज्ञान कर सीमा चिन्ह के रूप में पत्थर गढवाकर पुख्ता सीमाबन्दी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने दिनांक 15—08—2023 को अप्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने के लिए कहा तो उन्होंने सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने से इन्कार कर दिया व प्रार्थी को यह भी धमकी दी है। कि यदि प्रार्थी सीमाज्ञान करवायेगा तो वे सीमा बन्दी के पत्थरो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:44:42 IST
Reason: SelfAttested